| दिनांक 01.08.2026 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 411/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर विगत 24 घण्टों के अन्दर जनपद अंबेडकरनगर एवं उन्नाव पुलिस द्वारा 02 पीड़ितों की बचायी गयी जान**

- **जनपद अम्बेडकरनगर के थाना अकबरपुर की पुलिस द्वारा मात्र 08 मिनट में तथा जनपद उन्नाव की पुलिस द्वारा मात्र 12 मिनट के अन्तराल में** पीड़ितों के घर पहुंचकर उनके प्राणों की रक्षा की गयी।
- दिनांक 30-07-2026 को जनपद अम्बेडकरनगर के **थाना अकबरपुर के 22 वर्षीय युवक द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाने के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट** किया गया।
- दिनांक 31-07-2026 को जनपद उन्नाव के **थाना आसीवन के 25 वर्षीय युवक द्वारा अपने भाई से रुपयों के लेनदेन के विवाद के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट** किया गया।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय द्वारा प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल पीड़ितों की लोकेशन ट्रेस कर जनपद अम्बेडकरनगर तथा जनपद उन्नाव को सूचित किया गया।
- दिनांक **01-01-2023 से 20-07-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 3455 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा** उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards-2026 से सम्मानित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बरो के आधार पर तत्काल पीड़ितों की लोकेशन की जानकारी करके जनपद अम्बेडकरनगर व उन्नाव को प्रकरण से अवगत कराया गया।

**1- अंबेडकरनगर**

दिनांक 30-07-2026 को जनपद अंबेडकरनगर के थाना अकबरपुर निवासी लगभग **22 वर्षीय युवक द्वारा गले में तार लपेटकर "अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, गुड बाई " यह टेक्स्ट लिखकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट** किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक-30-07-2026 को शाम 04:55 PM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद अंबेडकरनगर के **थाना अकबरपुर के उप निरीक्षक आलोक शुक्ला तथा आरक्षी विभांशु विक्रम सिंह पीड़ित के घर 08**

**मिनट के अन्तराल में पहुँच गए**, पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ित के परिजनों को संबंधित पोस्ट की जानकारी देते हुए पीड़ित के पास पहुंचे और देखा की पीड़ित अपने गले में तार को लपेटकर ज़ोर से कस रहा था। पुलिस कर्मियों द्वारा अविलम्ब परिजनों के सहयोग से पीड़ित के गले से तार को निकाला गया। पीड़ित ठीक प्रकार से साँस नहीं ले पा रहा था और हाँफ रहा था। पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़ित को घरेलू प्राथमिक उपचार किया गया। पीड़ित के सामान्य होने के उपरन्त पुलिस कर्मियों द्वारा जानकारी किये जाने पर **उसके द्वारा बताया गया कि वह एक लड़की से प्रेम करता है और अचानक उस लड़की ने पीड़ित से बात करना बंद कर दिया, जिस कारण पीड़ित मानसिक रूप से व्यथित था, इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए और उसके द्वारा यह कदम उठा उठाया गया।**

**2- जनपद उन्नाव**

दिनांक 31-07-2026 को जनपद उन्नाव के **थाना आसीवन निवासी लगभग 20 वर्षीय युवक द्वारा "अपने भाई से रुपयों के लेन-देन के विवाद के कारण उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या सम्बन्धी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट** किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक- 31-07-2026 की रात्रि 12:19 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर जनपद उन्नाव के **थाना आसीवन के उ0नि0 हीरालाल, आरक्षी जितेश कुमार व आरक्षी विजय प्रताप यादव मात्र 12 मिनट में पीड़ित के घर पहुँच गए** तथा परिजनों को उसकी पोस्ट की जानकारी देकर तत्काल पीड़ित के पास पहुँचे, तो देखा कि पीड़ित के पास एक रस्सी पड़ी थी और एक कीटनाशक भरी हुई बोतल रखी थी। पीड़ित अत्यंत अवसाद की स्थिति में था। पुलिस कर्मियों द्वारा बिना समय गंवाए पीड़ित के पास से कीटनाशक की बोतल को हटाया और उसको अलग ले जाकर समझाया गया।

पीड़ित के सामान्य स्थिति में आने पर पूछताछ के दौरान उसने बताया कि **वह बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर काम करता है। पीड़ित ने मोबाइल की किस्त जमा करने के लिए घर से बिना बताए रुपये ले लिए थे, जिस कारण उसके भाई ने उसको मारा और इसी कारण पीड़ित मानसिक रूप से अत्यंत व्यथित एवं अवसादग्रस्त हो गया था। इसी मानसिक तनाव के चलते उसके मन में आत्मघाती विचार उत्पन्न हुए, किंतु पुलिस के समय पर पहुँच जाने के कारण पीड़ित आत्मघाती क़दम नहीं उठा पाया।**

उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, दोनों पीड़ितों को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर उनके द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। दोनों युवकों के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। **दिनांक 01-01-2023 से 20-07-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल 3455 व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।**

Ai generated image

| |
|---|
| दिनांक 01.08.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 412/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद इटावा/थाना फ्रेण्डस कालोनी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 01.08.2026 को थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शीलू उर्फ शीलेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन जनपद इटावा पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–शीलू उर्फ शीलेन्द्र निवासी परोख थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी।

## कमिश्नरेट लखनऊ/थाना आशियाना

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 01.08.2026 को थाना आशियाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवीखेड़ा से इको गार्डेन की ओर जाने वाली रोड से 02 अभियुक्तों 1–राहिल उर्फ लंगड़ा 2–मो0 इस्माइल उर्फ टिल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना आशियाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना आशियाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त राहिल उर्फ लंगडा के विरूद्ध जनपद गोरखपुर व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना आशियाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राहिल उर्फ लंगड़ा निवासी कांशीराम कालोनी सालेह नगर थाना आशियाना लखनऊ।

2–मो0 इस्माइल उर्फ टिल्लू निवासी कांशीराम कालोनी सालेह नगर थाना आशियाना लखनऊ।

**बरामदगी**

1–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

**कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20**

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 दो पहिया वाहन**
- **2200/–रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 31.07.2026 को थाना सेक्टर–20 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सर्विस रोड सेक्टर–27 नोएडा से 06 अभियुक्तों 1–राजीव 2–अजय कुमार 3–सचिन कुमार 4–कृष्णा शेरा 5–विजय कुमार 6–बृजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 दो पहिया वाहन, 2200/–रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजीव के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी आदि के 21 अभियोग, अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना

सेक्टर–20 पर वाहन चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त सचिन कुमार, कृष्णा शेरा, विजय कुमार, बृजेश कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर–20 पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा–आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राजीव निवासी ग्राम लोहा पानी थाना मऊ दरवाजा जनपद फतेहगढ हालपता–नांगलोई एक्टेंशन थाना नांगालोई, दिल्ली।

2–अजय कुमार निवासी चौधरी मार्केट खोड़ा कालोनी, गाजियाबाद।

3–सचिन कुमार निवासी ग्राम कमालगंज जनपद फतेहगढ़ हालपता–ग्राम निठारी सेक्टर–31 गौतमबुद्धनगर।

4–कृष्णा शेरा  निवासी गांव नयापुर थाना सदर, करौली, राजस्थान वर्तमान पता–बरौला सेक्टर–49 गौतमबुद्धनगर।

5–विजय कुमार निवासी ग्राम अतरा थाना करतल, बांदा वर्तमानपता–मयूर विहार फेस–3 ईस्ट दिल्ली।

6–बृजेश कुमार निवासी नयापुरा थाना सदर करौली, राजस्थान वर्तमान पता–बरौला सेक्टर–49 गौतमबुद्धनगर।

**बरामदगी**

1–चोरी की 15 दो पहिया वाहन।

2–2200/–रूपये नगद आदि।

**जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 75 लाख रूपये (कीमत) की 07 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनांक 01.08.2026 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त धर्मपाल उर्फ पालू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 75 लाख रूपये (कीमत) की 07 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, राजस्थान, हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–धर्मपाल उर्फ पालू निवासी राजगढ डोबी थाना नरवाला जनपद जिन्द, हरियाणा।

**बरामदगी**

1–लगभग 75 लाख रूपये (कीमत) की 07 किलोग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व प्रत्येक को 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–शिव कुमार 2–अभियुक्ता को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास व धारा 498ए/304बी भादवि व 04 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त पवन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गया।

- **जनपद आजमगढ़/थाना फूलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत 04 अभियुक्तों 1–हरिवंश 2–हंसराज 3–छाजी 4–हरेन्द्र को 07–07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 14–14 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गया।

––––––